



दिनांक 30.04.2026

प्रेस विज्ञप्ति 235 / 2026

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

### अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारीगण का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक: 30.04.2026 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी श्रीमती नीरा रावत, पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0/ पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 एवं श्री राम बदन सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक/ अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा के सेवानिवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विदाई कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती नीरा रावत, पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0/ पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 एवं श्री राम बदन सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक/ अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

विदाई कार्यक्रम के अवसर पर श्रीमती रेणुका मिश्रा, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, श्री बी.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक सीआईडी/साइबर क्राइम तथा श्री प्रकाश डी, पुलिस महानिदेशक रेलवे द्वारा ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बिताए गए महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय क्षणों को साझा किया तथा श्रीमती नीरा रावत के सौम्य व्यक्तित्व, गरिमापूर्ण आचरण, नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट कार्यकुशलता की सराहना करते हुए उन्हें एक संतुलित, सहयोगी एवं प्रेरणादायी अधिकारी बताया। साथ ही एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं के प्रभावी निर्वहन को उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान बताया गया, तथा श्री राम बदन सिंह के दीर्घ सेवाकाल, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट योगदान की भी सराहना की। अंत में, दोनों अधिकारियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनके सेवानिवृत्ति उपरांत सुखद, स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की गई।

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती नीरा रावत पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन) ने अपने संबोधन में अत्यंत भावुकता और विनम्रता के साथ अपने सेवाकाल की यात्रा को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह क्षण उनके लिए मिश्रित भावनाओं से भरा है—एक ओर वही परिचित वातावरण है, तो दूसरी ओर स्वयं उस स्थान पर खड़े होने का अनुभव बिल्कुल नया है। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा बनने के अवसर के लिए ईश्वर, अपने माता-पिता तथा सरकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक साधारण शैक्षिक पृष्ठभूमि के बावजूद उन्हें देश की प्रतिष्ठित सेवा में कार्य करने का अवसर मिला, जो उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विशेष रूप से अपने माता-पिता के त्याग, प्रोत्साहन और विश्वास को अपनी सफलता की आधारशिला बताया।

उन्होंने अपने सेवाकाल के अनुभवों को याद करते हुए विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन, सहकर्मियों के सहयोग तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में कार्य करते हुए व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहा, फिर भी इस यात्रा ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया। अपने परिवार, विशेषकर पति और बच्चों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि सेवा के दायित्वों के कारण कई व्यक्तिगत क्षणों का त्याग करना पड़ा। अंत में उन्होंने पूरे पुलिस परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया।

**श्री राम बदन सिंह**, पुलिस उप महानिरीक्षक ने अपने संबोधन में संतोषपूर्ण एवं कर्तव्यनिष्ठ सेवायात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि 1991 बैच पी.पी.एस. से प्रारंभ कर भारतीय पुलिस सेवा में आना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा और उन्हें सेवा में भरपूर अवसर व सहयोग मिला। उन्होंने स्वास्थ्य, ईमानदारी और स्पष्ट कार्यशैली को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अनुशासन और नियमित व्यायाम से वे पूरी सेवा अवधि में स्वस्थ रहे। अंत में उन्होंने वरिष्ठों, सहकर्मियों एवं अधीनस्थों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ सेवा से विदा लेने की बात कही।

**श्री राजीव कृष्ण**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त अधिकारियों श्रीमती नीरा रावत एवं श्री राम बदन सिंह के साथ अपने लंबे और आत्मीय जुड़ाव को साझा किया। उन्होंने श्रीमती नीरा रावत को एक अत्यंत स्नेही, संतुलित, स्पष्ट सोच एवं सकारात्मक नेतृत्व वाली अधिकारी बताते हुए कहा कि उन्होंने UP 112 एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 जैसे जटिल एवं महत्वपूर्ण संगठनों को अपनी कार्यकुशलता, स्पष्टता एवं नेतृत्व क्षमता से नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि श्रीमती रावत का सहयोगी एवं मार्गदर्शक स्वभाव सदैव अधीनस्थों एवं सहकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है तथा उनका सकारात्मक व्यक्तित्व अत्यंत सराहनीय एवं दुर्लभ है।

श्री राम बदन सिंह के संबंध में उन्होंने अपने लगभग 25 वर्षों पुराने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे प्रारंभ से ही अत्यंत पेशेवर, संतुलित एवं जनसंवेदनशील अधिकारी रहे हैं। नोएडा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सेवा भावना, संवाद कौशल एवं पेशेवर ईमानदारी का उत्कृष्ट संतुलन प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने पूरे करियर में बनाए रखा।

**पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** महोदय ने दोनों अधिकारियों की कार्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता एवं सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी संगठन की साख एवं कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ करते हैं। अंत में, उन्होंने दोनों अधिकारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सफल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार उनके अनुभव एवं मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

**श्रीमती नीरा रावत जी** का जन्म 26 अप्रैल 1966 को दिल्ली में हुआ था। वर्ष 1992 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित होकर केरल कैडर में नियुक्त रहीं। वर्ष 1999 में केरल कैडर से उत्तर प्रदेश कैडर में स्थानान्तरित होने के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2025 में 'पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 के साथ पुलिस महानिदेशक, यूपी-112 के पद का अतिरिक्त प्रभार रहा, जहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रही हैं।

श्रीमती नीरा रावत जी निष्ठावान, कार्यकुशल एवं सुयोग्य अधिकारी रही हैं। जिनका 33 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्रीमती नीरा रावत जी को गणतन्त्र दिवस 2008 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर), गणतन्त्र दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2021 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के प्रशंसा चिन्ह(प्लेटिनम) से सम्मानित किया गया है।

**श्री राम बदन सिंह जी** का जन्म 20 अप्रैल 1966 को जनपद फतेहपुर में हुआ था। वर्ष 1994 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये तथा वर्ष 2019 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 2025 में "पुलिस उप महानिरीक्षक" के पद पर प्रोन्नत हुये। वर्तमान में अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा के पद पर नियुक्त हैं, जहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री राम बदन सिंह जी कर्मठ, लगनशील एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। जिनका 31 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री राम बदन सिंह जी को दिनांक: 29.11.2007 को वीरता के लिये पुलिस पदक, दिनांक:12.06.2009 को वीरता के लिये पुलिस पदक का 1st BAR, दिनांक: 12.11.2010 को वीरता के लिये पुलिस पदक का 2nd BAR, गणतन्त्र दिवस 2019 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), गणतन्त्र दिवस 2022 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) एवं गणतन्त्र दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(प्लेटिनम) से सम्मानित किया गया है।







दिनांक 30.04.2026

प्रेस विज्ञप्ति 236 / 2026

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 22 मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों एवं 05 दिव्यांग पुलिस कर्मियों, को 41 करोड़ 60 लाख रुपये के चेक प्रदान किया गया

- उ0प्र0 पुलिस एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्य सैलरी पैकेज नवीनीकरण हेतु 3 वर्ष का MoU हस्ताक्षरित, पुलिस कर्मियों के कल्याण को मिलेगा सशक्त समर्थन

आज दिनांक 30.04.2026 को श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत आकस्मिक दुर्घटना में मृत/दिव्यांग पुलिस कर्मियों को पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत 22 मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों एवं 05 दिव्यांग पुलिस कर्मियों को कुल 27 लोगों को 41 करोड़ 60 लाख रुपये के चेक प्रदान किये गये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.03.2026 को जीआरपी गोंडा में नियुक्त आरक्षी आकाश सिंह अभियुक्त को भागने से रोकने के प्रयास में ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें उनके दोनों पैर कट गए। इस दुखद घटना के उपरांत पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 01 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आरक्षी की पत्नी को प्रदान किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के परिजनो से एक-एक कर मुलाकात किये एवं दिव्यांग पुलिस कर्मियों से व्यक्तिगत रूप से तथा उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पुछा गया तथा उन्हे विभाग की तरफ से हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, पुलिस उपमहानिरीक्षक, भवन/कल्याण सहित बैंक आफ बड़ौदा के महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक एवं शाखा प्रबन्धक उपस्थित रहें।

**उ0प्र0 पुलिस एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्य सैलरी पैकेज नवीनीकरण हेतु 3 वर्ष का MoU हस्ताक्षरित।**


पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की गरिमामयी उपस्थिति में Bank of Baroda एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के मध्य पुलिस सैलरी पैकेज के नवीनीकरण हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह समझौता ज्ञापन (MoU) दिनांक 21.03.2023 को हस्ताक्षरित किया गया था, जिसकी अवधि 20.03.2026 को पूर्ण होने के उपरांत पुलिस कर्मियों के कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए इसका नवीनीकरण किया गया है। यह (MoU) दिनांक 21.03.2026 से प्रभावी होगा ।

सैलरी पैकेज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों को व्यापक बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ बीमा संबंधी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए जा रहे हैं । इस पैकेज के तहत पुलिस कर्मियों को लगभग 2.30 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है. जो आंशिक एवं स्थायी दिव्यांगता तथा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में कर्मियों एवं उनके आश्रितों को महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने विश्वास व्यक्त किया कि यह नवीनीकृत समझौता ज्ञापन (MoU) उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों एवं उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा भविष्य में भी इस प्रकार की जनहितकारी एवं कल्याणकारी पहलों को प्रोत्साहित करेगा ।

उक्त समझौता ज्ञापन (MoU) के नवीनीकरण के अंतर्गत सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों को भी दुर्घटना (फैमिली पेंशनरों)संबंधी विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।









दिनांक 30.04.2026

प्रेस विज्ञप्ति 237 / 2026

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० की बांदा तथा देवीपाटन मण्डल गोण्डा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर की गयी ट्रेप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, श्री राजीव कृष्ण के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 30.04.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० की बांदा तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर ट्रेप की कार्रवाई की गयी।

**1-भ्रष्टाचार निवारण संगठन बांदा इकाई** द्वारा श्री धर्मवार सिंह निवासी ग्राम बिसला तहसील व जिला फतेहाबाद, हरियाणा से भूमि के नक्शा दुरुस्तीकरण करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मृत्युञ्जय कुमार के नेतृत्व में न्या० कार्यालय उपसंचालक चकबन्दी हमीरपुर से कनिष्ठ लिपिक अल्ताफ अली पुत्र स्व० इकराम अली निवासी ग्राम दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा को **25 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन देवीपाटन मण्डल गोण्डा इकाई** द्वारा मो० अजमल पुत्र मो० अख्तर निवासी ग्राम कोल्हुई गरीब थाना खोड़ारे ब्लाक बभनजोत जनपद गोण्डा से जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बभनजोत, जनपद गोण्डा से **ग्राम विकास अधिकारी उमेश कुमार** पुत्र देवनाथ राम निवासी ग्राम डिहवा (नई बस्ती) थाना नगरा जनपद बलिया को **10 हजार रुपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सहारनपुर/थाना तीतरों

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 300 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 मोबाइल फोन
- 01 कार बरामद

दिनांक 30.04.2026 को थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त शाहरूख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 300 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन, 01 कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना तीतरों पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शाहरूख निवासी ग्राम गढी बेसक थाना सनौली जनपद पानीपत, हरियाणा।

बरामदगी

1-300 ग्राम अवैध स्मैक।

2-01 मोबाइल फोन।

3-01 कार।

➤ जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना खतौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आकाश उर्फ सोनू को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 11-11 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि की सपठित धारा 34 व 324/596 के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1-चीनीलाल 2-अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 11-11हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

-----